4/6/18

कठूमर (अलवर)

फास्टवेल फैमिली कोर्ट में पेश हुई। वकील पार्टी उपस्थित। बहसदावा सुनी गई। फास्टवेल का अवलोकन किया गया। बहस दोनों पक्षों की गई। उभय हितबद्ध के बीच वैवाहिक बन्धन का संबंध एवं अपूरणीय क्षति पार्टी के पक्ष में बनाये रखना होगा। अतः प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी गण को नोटिस द्वारा पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आज्ञप्ति का पालन तथा कुटुम्ब के रिकार्ड बनाये रखें। फास्टवेल फैसले शुभा होकर नकल से बाद दी जाये।

SDM